हमारे बैंक द्वारा वित्तपोषित केंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बेंगलुरु

हमारे बैंक द्वारा वित्तपोषित हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड, सिंद्री यूरिया परियोजना

हमारे बैंक द्वारा वित्तपोषित मेट्रो रेल परियोजना

हमारे बैंक द्वारा वित्तपोषित पवन ऊर्जा परियोजना

## 4. तनावग्रस्त आस्ति प्रबंधन

1. पिछले चार वित्त वर्षों के दौरान एनपीए के उतार-चढ़ाव तथा अपलिखित खातों में हुई वसूली को नीचे दिखाया गया है:

(₹ करोड़ में)

| | वित्त वर्ष 2017* | वित्त वर्ष 2018 | वित्त वर्ष 2019 | वित्त वर्ष 2020 |
|---|---|---|---|---|
| सकल एनपीए | 1,77,866 | 2,23,427 | 1,72,750 | 1,49,092 |
| सकल एनपीए% | 9.11% | 10.91% | 7.53% | 6.15% |
| निवल एनपीए% | 5.19% | 5.73% | 3.01% | 2.23% |
| नई बढ़ोतरी + बकाया में बढ़ोतरी | 1,15,932 | 1,00,287 | 39,740 | 54,510 |
| नकद वसूली/अपग्रेडेशन | 32,283 | 14,530 | 31,512 | 25,781 |
| अपलेखन | 27,757 | 40,196 | 58,905 | 52,387 |
| एयूसीए (AUCA) में वसूली | 3,963 | 5,333 | 8,345 | 9,250 |
| पीसीआर (%) | 61.53% | 66.17% | 78.73% | 83.62% |

*विलयन के बाद

2. विगत कुछ वर्षों में बैंकिंग क्षेत्र की समग्र अलाभकारी आस्तियों में अत्यधिक वृद्धि हुई। दिसंबर 2019 की भारतीय रिज़र्व बैंक की वित्तीय स्थायित्व रिपोर्ट के अनुसार क्षतिग्रस्त आस्ति भार से संभावित वसूली के संकेत के रूप में बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में सुधार आया, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की सकल अलाभकारी आस्तियों का अनुपात मार्च 2019 की स्थिति की तुलना में 30 सितंबर 2019 में 9.3% पर स्थिर रहा। इसमें सितंबर 2018 के 10.8% के सकल अलाभकारी आस्ति अनुपात की तुलना में सुधार आया। इसके अलावा, व्यापक आर्थिक आघात को सहने के लिए भारतीय बैंकों की सहनशीलता के दबाव परीक्षणों द्वारा किया गया, जिसके परिणाम यह सूचित करते हैं कि सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की सकल अलाभकारी आस्तियाँ सितंबर 2019 की 9.3% की स्थिति से बढ़कर मार्च 2020 तक 9.9% रहीं। यह स्थूल

आर्थिक परिदृश्य में बदलाव, स्लिपेज में थोड़ी सी वृद्धि एवं घटती ऋण संवृद्धि के डिनामिरेटर प्रभाव के कारण हुआ।

3. कोविद-19 के परिप्रेक्ष्य में वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान अलाभकारी आस्तियों के स्तर में भारी वृद्धि होने की आशा है। इसे रोकने के लिए आपका बैंक उधारकर्ताओं को सहायता करने के लिए कई पूर्व उपाय कर रहा है, ताकि वे वर्तमान चुनौतियों का सामना कर सके और लाभकारी आस्तियों को जारी रख सके। निम्नलिखित कारणों से वित्त वर्ष 2019 एवं वित्त वर्ष 2020 में सकल अलाभकारी आस्तियों में लगातार कमी के परिणामस्वरूप मार्च 2020 के अंत तक अलाभकारी आस्तियों के स्तर में भारी कमी आई:

I. तनावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) 2016 से आपके बैंक को तनवग्रस्त आस्तियों से निपटने के लिए समयबद्ध, पारदर्शी एवं प्रभावी प्रणाली मिली है। इस संहिता के तहत बैंक ने राष्ट्रीय कंपनी कानून अधिकरण को भेजे गए उच्च मूल्य के कुछ अलाभकारी खातों का समाधान किया गया है। इसी संहिता के तहत समाधान हेतु मामले राष्ट्रीय कंपनी कानून अधिकरण को भेजे जाते हैं। समाधान हेतु राष्ट्रीय कंपनी कानून अधिकरण को भेजे गए मामलों की निगरानी तनावग्रस्त आस्ति समाधान समूह की विशेषीकृत एनसीएलटी कक्ष में की जाती है। 31 मार्च 2020 को कुल 821 मामले एनसीएलटी को भेजे गए, जिनमें से 662 मामलों को स्वीकार किया गया है। आपका बैंक एनसीएलटी प्रक्रिया के जरिए एक बड़े ऋणी के खाते का समाधान कर उससे ₹12,024 करोड़ की राशि वसूल करने में सफल रहा है। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक की पहली एवं दूसरी संदर्भ सूचियों के कुछ उच्च मूल्य के खातों सहित 82 मामलों का समाधान किया जा चुका है।

II. उच्च मूल्य के तनावग्रस्त आस्तियों के समाधान के विवेकपूर्ण समाधान पर भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 7 फरवरी 2019 का परिपत्र इन खातों के समयबद्ध समाधान (एनसीएलटी प्रक्रिया से बाहर) के लिए नया अवसर प्रदान करता है। आपका बैंक इस पद्धति के अंतर्गत समाधान का सक्रिय लाभ उठा रहा है।

III. गैर-एनसीएलटी मामलों में वसूली वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्रचना एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम के अंतर्गत, ऋण वसूली अधिकरणों एवं न्यायालयों में मामले दायर कर वसूली की जाती है। बंधक रखी गई सम्पत्तियों की बिक्री भारतीय बैंक संघ के तत्वावधान में ई-नीलामी मंच https://ibpa.in से की जा रही ही है। पात्र मामलों में एकबारगी निपटान/समझौता के जरिए भी अवरुद्ध ऋणों की वसूली करने की कोशिश की जा रही है।

4. उत्तरदायी एवं जिम्मेदार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए सुधार के भारत सरकार के एजेंडा के अनुरूप तनावग्रस्त आस्ति प्रबंधन समूह का पुनर्गठन तनावग्रस्त आस्ति समाधान समूह के रूप में किया गया, जो क्षेत्र विशिष्ट दृष्टिकोण के साथ अलाभकारी आस्तियों के समाधान पर ध्यान देता है। इस समय प्रबंध निदेशक इस विभाग के प्रमुख हैं और दो उप प्रबंध निदेशक इस विभाग को सहायता प्रदान करते हैं तथा तीन मुख्य महाप्रबंधक क्षेत्र-वार संविभाग की निगरानी कर रहे हैं। सात महाप्रबंधकों के दिशानिर्देशों पर लेखा प्रबंधन दल कार्य कर रहे हैं। वित्त वर्ष 2020 के दौरान तनावग्रस्त आस्ति समाधान समूह में देश भर की 19 तनावग्रस्त आस्ति प्रबंधन शाखाएँ एवं 53 तनावग्रस्त आस्ति वसूली शाखाएँ शामिल रही, जो आपके बैंक की क्रमशः 61.26% एवं 86.03% अलाभकारी आस्तियों एवं ईयूसीए को कवर करती हैं।

अलाभकारी आस्ति संविभाग का उद्योग-वार संवितरण (31 मार्च 2020 तक) निम्नानुसार है :

## अलाभकारी आस्तियां (संपूर्ण बैंक)

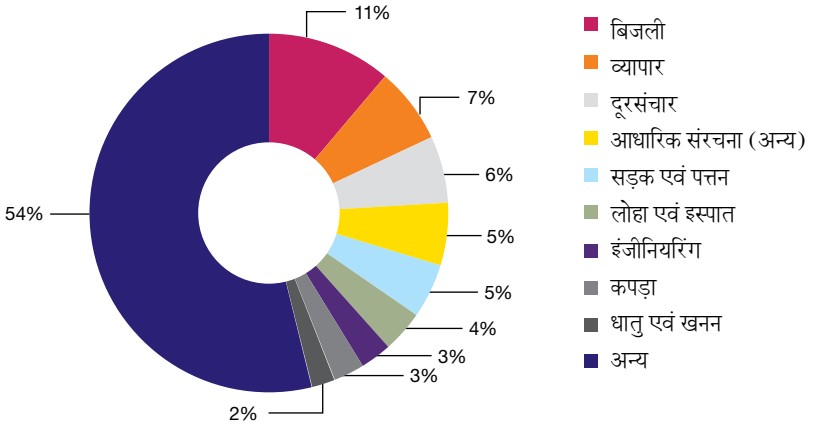


5. एसएआरजी में वसूली का बड़ा अंश समझौता और एआरसी को किए गए विक्रय से आता है। वर्टिकल समय-समय पर विशेष ओटीएस योजनाएँ (गैर-विवेकाधीन और गैर-भेदभावपूर्ण) लेकर आता है। आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी को आस्तियों की बिक्री पर निगरानी रखने के लिए एक समर्पित टीम भी स्थापित की गई है।

## वसूली विधि-संपूर्ण बैंक-वित्त वर्ष 2020

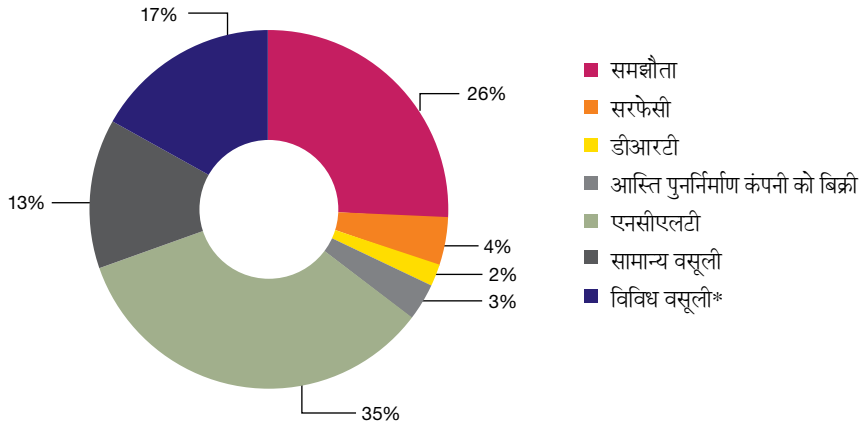

6. विशेष रूप से उल्लिखित खाते 2 एवं उससे अधिक श्रेणी में ₹ 500 करोड़ और उससे अधिक राशि के खातों के लिए तनावग्रस्त आस्ति समाधान समूह में ऋण निगरानी एवं समाधान में विशेष विशेषज्ञ दल का गठन किया गया है। यह चूक के शुरुआत से ही निगरानी करने एवं समाधान योजना शुरू करने तथा चूक के शुरुआती चरण में सक्रिय समाधान उपाय लेने में सहायता करता है।

7. आज एसएआरजी आपके बैंक के सबसे महत्वपूर्ण वर्टिकल के रूप में खड़ा है। बैंक की सकल अलाभकारी आस्तियां अब अवरोहण के पथ पर हैं। एसएआरजी द्वारा दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान निम्नलिखित रूप से बैंक की आमदनी में अप्रत्यक्ष अवसर प्रस्तुत करता है :

- एनपीए और औका में नकद वसूली
- ऋण हानि प्रावधानों में कमी
- आपके बैंक के बॉटम लाइन में योगदान
- ऋण विस्तारण के लिए पूंजी जुटाना

8. वित्त वर्ष 2020 के दौरान एसएआरजी ने विशिष्ट नवोन्मेषी तरीके भी अपनाए हैं। आपके बैंक को अखिल भारतीय आधार स्तर पर बड़ी संख्या में संपत्तियों की मेगा ई-नीलामी, ऋणकर्ता/गारंटीकर्ता की भार रहित संपत्तियों की पहचान तथा न्यायिक निर्णय से पहले संपत्तियों की कुर्की जैसे क्षेत्रों में अग्रणी रहने का लाभ प्राप्त है। तनावग्रस्त खाते की वसूली तेज करने हेतु की गई न्यायिक कार्रवाई की बेहतर निगरानी के लिए लिटमस (लिटिगेशन मेनेजमेंट सिस्टम) सहित कई नई सूचना प्रौद्योगिकी पहल शुरू करने की प्रक्रिया में हैं। संभावित ग्राहकों के लिए अपना समझौता आवेदन प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल तथा बैंक तक उन्हें आसान पहुँच प्रदान करने का परीक्षण किया जा रहा है। इससे इन प्रक्रिया में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ेगी।